न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2016/00204 **दायरा दिनांक : 29.02.2016**

उनवान

1. गोपाल आयु 53 वर्ष पुत्र श्री नाथूलाल, जाति जाट
2. मथुरालाल आयु 55 वर्ष पुत्र श्री नाथूलाल, जाति जाट
3. प्रेम उर्फ प्रेमनारायण आयु 51 वर्ष पुत्र श्री नाथूलाल, जाति जाट

निवासीगण बडोदिया तहसील छबडा जिला बारां राज० .... अपीलांट

बनाम

जानकीलाल आयु 56 वर्ष पुत्र श्री नाथूलाल, जाति जाट, निवासी बडोदिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज० .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री नरेन्द्र कुमार नंदवाना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 03.04.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 183/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम बड़ोदिया, तहसील छबड़ा में मुताबिक जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 के अनुसार खाता संख्या 32/29 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 10/1 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 63 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 191 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 197 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलाट के कब्जे, स्वामित्व खाते की पैमाराजी खाता संख्या 32/29 खसरा नम्बर 10/1 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 63 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 191 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 197 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा वाके माल बडोदिया, तहसील छबडा, जिला बारां मे अवस्थित है। जिसका पारिवारिक बंटवारा अपने पिता के जीवनकाल से ही हो रहा है जिस पर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांटगण व रेस्पोडेंट 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जो अपीलांटगण व रेस्पोडेंट के पिता नाथूलाल ने खरीद की थी। इस कारण उक्त वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जिस पर सभी का बराबर हक हिस्सा बनता है और अपीलांटगण व रेस्पोडेंट अपने हक व हिस्से के मुताबिक काबिज काश्त है।

अपीलांटगण व रेस्पोडेंट के पिता नाथूलाल द्वारा उक्त आराजी रतनलाल पुत्र श्री लक्ष्मण, जाति महाजन निवासी छबडा से क्रय करने के 15 वर्षों बाद दिनांक 04.06.1968 को सबरजिस्ट्रार छबडा के यहां रजिस्ट्री करवायी थी एवं कब्जा प्राप्त किया था। लेकिन रेस्पोडेंट परिवार का बडा पुत्र होने के नाते नाबालिग अवस्था में 8 वर्ष की उम्र में रेस्पोडेंट के नाम रजिस्ट्री करवा दी थी। अपीलांटगण व रेस्पोडेंट के परिवार के मुखिया नाथूलाल की कमाई से 300/–रूपये में खरीद की गई थी। पिता नाथूलाल द्वारा खरीदी गई भूमि संयुक्त परिवार की सम्पति होने से अपीलांटगण व रेस्पोडेंट का समान हक व हिस्सा बनता है। जिस पर पारिवारिक बंटवारे के मुताबिक अपने हक के हिस्से पर काबिज काश्त है। लेकिन रेस्पोडेंट अपने खाते में करवाये जाने का फायदा उठाकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी हड़प करना चाहता है। जिसके के लिये मिथ्या आधारों पर रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के यहां पर धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की कार्यवाही मिथ्या आधारों पर की गई थी जो निराधार होने से अधीनस्थ न्यायालय का लोक अदालत का एकतरफा निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट द्वारा भौतिक कब्जे व अपने पिता के जीवनकाल से हुए पारिवारिक बंटवारे को नजर अन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया गया है जो मिथ्या आधारों पर होने से निरस्तनीय है तथा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है तथा प्रकरण की विधिवत सुनवाई किये बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानूनन गलत होने से निरस्तनीय है। उक्त पैतृक आराजी पर अपीलांटगण व रेस्पोडेंट का बराबर का हक व अधिकार होने व पैतृक कमाई से खरीद किये जाने के कारण रेस्पोडेंट का नाम खाते से हटाया जाकर मात्र 1/4 हिस्से पर ही कायम किये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दिया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है तथा साथ ही अपीलांटगण का नाम खाते में 1/4 हिस्से पर अपने हक के अनुसार कायम किये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दिया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय के भौतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांटगण को पूर्ण विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को ताफैसला अपील स्थगित किया जाना भी न्यायहित में अतिआवश्यक है। जिससे अनाश्यक मुकदमेंबाजी व लड़ाई झगड़े से बचा जा सकें। पूर्व की जो मौके की स्थिति थी उसी को बहाल रखना अतिआवश्यक है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्त न्यायालय के निर्णय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

व डिक्री दिनांक 10.06.2015 को अपास्त कर अपीलांटगण को मौके पर काबिज काश्त के अनुसार निर्णय पारित किये जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दिये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को नहीं दिये जाने के कारण डिले हुए सात माह के समय को कन्डोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया और बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया था। वादी को प्रतिवादी से कब्जा दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.06.2014 को पत्रावली तनकी कायम करने हेतु नियत थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी कायम नहीं की गई और लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया गया। लोक अदालत में दोनों पक्षों के हस्ताक्षर नहीं है अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत निर्णय पारित किया है। बिना कब्जे के धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दावा मेंटेनेबल नहीं होता है। पक्षकारान आपस में भाई हैं परन्तु जानकीलाल का इस आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। तीनों भाइयों का ही वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकी कायम नहीं की गई, ना ही साक्ष्य ली गई। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार रेस्पोडेंट वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम बडोदिया, तहसील छबडा की जमाबंदी संवत 2066 से 2069 की खाता संख्या 32/29 की कुल किता 5 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा आराजी के सन्दर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार दिनांक 24.06.2014 को जवाब दावा पेश हुआ। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते तनकीयात दिनांक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

28.07.2014 को नियत की गई। पत्रावली पर तनकीयात कायम होना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। पत्रावली सीधे ही दिनांक 10.06.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट झाडखेड़ी में सुनवाई हेतु रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर इस आशय का निर्णय पारित किया कि वादी के खाते की आराजी ग्राम बडोदिया खसरा नम्बर 10/1 रकबा 3.00 बीघा, खसरा नम्बर 63 रकबा 10.01 बीघा, खसरा नम्बर 191 रकबा 1.02 बीघा, खसरा नम्बर 195 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.09 बीघा कुल किता 5 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा पर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं वादी को पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण के खाते की आराजी में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय लोक अदालत की भावना के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। राजस्व लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष आपस में सहमत हो और अपनी सहमति के अनुसार उनके द्वारा वाद के निस्तारण हेतु राजीनामा प्रस्तुत कर दिया हो। अपीलाधीन निर्णय में पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का राजीनामा लोक अदालत में पेश नहीं किया गया । पत्रावली की आदेशिका पर पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है इससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय पक्षकारान की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अतः अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की भावना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से हम इस अपीलाधीन निर्णय को खारिज करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 खारिज किया जाता है । प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम करते हुए उभयपक्ष को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात पुनः नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.05.2025 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 03/04/2025

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा